8.9.2022

आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मिसल पेशी में लेने का पेश किया जिस पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी का अपराधियों के साथ आपसी सम्झौता व लोक अदालत की मध्यस्था से राजीनामा हो गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अर्जी दायर विहीन चलाना नहीं चाहता है और उक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र को निरस्त करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर खारिज की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:28:37 IST
Reason: SelfAttested